



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 11.07.2024

**“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा लूट का प्रयत्न करने वाले आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।**

### कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.09.2014 को वादी श्री सचिन अग्रवाल पुत्र सुनील अग्रवाल निवासी अफगानान थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी के दुर्गा प्रसाद पेट्रोल पंप को लूटने का प्रयत्न किया गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 493/14 धारा 393 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सोनू शर्मा उर्फ लादेन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुटिया कालोनी थाना कोतवाली शहर बिजनौर आदि का नाम प्रकाश में आया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.07.2024 को मा0 न्यायालय एसीजे-(जेडी-04) जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 493/14 धारा 393 भादवि के आरोपी अभियुक्त सोनू शर्मा उर्फ लादेन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुटिया कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था ।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- सोनू शर्मा उर्फ लादेन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुटिया कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 11.07.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अवैध शस्त्रों को अपने साथ रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहरुख पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला बुखारा इरशाद कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 640/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला बुखारा इरशाद कॉलोनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2605 निर्मल थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 11.07.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 362/24 धारा 74/78 बीएनएस0 व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2024 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त फुरकान पुत्र नुरहसन निवासी मौ0 किला कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ छेडछाड व अश्लील टिप्पणी करते हुए पीछा किया गया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 74/78 बीएनएस0 व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र नुरहसन निवासी मौ0 किला कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फुरकान पुत्र नुरहसन निवासी मौ0 किला कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह नागर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 105 सोमपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक- 11.07.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों जहूर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व कमल कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम ततारपुर लालू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.जहूर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.कमल कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम ततारपुर लालू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह बैसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 महेन्द्र सिंह बैसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 11.07.2024

**थाना चांदपुर पुलिस ने ट्यूबवैलों से मोटर चोरी के अभियोगों में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि विगत कुछ माह में थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्यूबवैलों से मोटर चोरी की घटनाएं घटित हुईं। उक्त घटनाओं के सम्बंध में थाना चांदपुर पर दिनांक 18.12.2023 को मु0अ0सं0 906/23 धारा 379 भादवि, दिनांक 04.02.2024 को मु0अ0सं0 62/24 धारा 379 भादवि, दिनांक 06.02.2024 को मु0अ0सं0 66/24 धारा 379 भादवि, दिनांक 01.03.2024 को मु0अ0सं0 104/24 धारा 379 भादवि, दिनांक 04.05.2024 को मु0अ0सं0 213/2024 धारा 379 भादवि व दिनांक 29.05.2024 को मु0अ0सं0 268/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 1.एहसान उर्फ भूरा पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम कुराल थाना नौगावां सादात हाल निवासी मौ0 लकडा महबूब नगर कुत्तों वाली गली अमरोहा नगर जनपद अमरोहा 2.जावेद पुत्र बुन्दु निवासी करीमपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर 3.नजाकत पुत्र रहमान निवासी मिलक अख्त्यारपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को थाना मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र सत्तार निवासी सदरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त फुरकान उपरोक्त की कबाडी की दुकान है। इसी दुकान पर पूर्व में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों द्वारा चोरी किया सामान बेचा जाता था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान पुत्र सत्तार निवासी सदरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 906/23 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 62/24 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 66/24 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 104/24 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 213/24 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 268/24 धारा 379/414 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 38/24 धारा 379 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- 8.मु0अ0सं0 105/24 धारा 379 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
- 9.मु0अ0सं0 534/23 धारा 379 भादवि थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1221 आशीष कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 11.07.2024

**थाना नहतौर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अरशद पुत्र खलील निवासी मौ० मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरशद पुत्र खलील निवासी मौ० मोलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० योगेश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का०1252 गौरव चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवालाकलां

दिनांक 11.07.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 86/24 धारा 115(2)/74 बीएनएस0 में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.07.2024 को वादिनी ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र चुम्मन सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ छेडछाड व मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 86/24 धारा 115(2)/74 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र चुम्मन सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गजेन्द्र पुत्र चुम्मन सिंह निवासी ग्राम बहादरपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
- 2.का0 464 मोनू चौधरी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवाला कलां

दिनांक- 11.07.2024

**थाना शिवाला कलां पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2024 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त जुल्फकार पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम व थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुल्फकार पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम व थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 693 राहुल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।